रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 34] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 29, 2014/माघ 9, 1935
No. 34] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 29, 2014/MAGHA 9, 1935

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2014

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् [तकनीकी शिक्षा संस्थाओं तथा तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय विभागों एवं मानित विश्वविद्यालय संस्थाओं में सभी कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों का अनिवार्य प्रत्यायन] विनियम, 2014

एफ0सं0 37–3/विधिक/अभातशिप/2014 :— प्रस्तावना

यतः, राष्ट्रीय संवृद्धि एवं विकास में भारतीय तकनीकी षिक्षा के योगदान के निहितार्थ, तकनीकी षिक्षा संस्थाओं तथा तकनीकी षिक्षा प्रदान करने वाले विष्वविद्यालय विभागों एवं मानित विष्वविद्यालय संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे सभी कार्यक्रमों में गुणवत्ता आष्वासन निरंतर महत्वपूर्ण बनता जा रहा है,

और यतः, षिक्षा एवं अनुसंधान की गुणवत्ता का अनुरक्षण करने और इसके मानकों का पणधारियों के मध्य प्रभावषाली प्रचार–प्रसार करने के लिए तकनीकी षिक्षा संस्थाओं तथा तकनीकी षिक्षा प्रदान करने वाले विष्वविद्यालय विभागों एवं मानित विष्वविद्यालय संस्थाओं का प्रत्यायन एक महत्वपूर्ण साधन है, ताकि उन्हें तकनीकी षिक्षा का मूल्यांकन करने के लिए संसूचित विकल्प प्राप्त करने में समर्थ बनाया जा सके;

और यह भी कि यतः, अखिल भारतीय तकनीकी षिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 के अंतर्गत प्रत्यायन प्रक्रियाएं अखिल भारतीय तकनीकी षिक्षा परिषद् द्वारा स्थापित राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड तथा इस संबंध में स्थापित किये जाने वाले किसी अन्य अभिकरण द्वारा क्रियान्वित की जा रही हैं;

और यतः, परिषद् ने संकल्प लिया है कि प्रत्यायन अभिकरण (राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड अथवा परिषद् द्वारा चिन्हित अन्य कोई अभिकरण) द्वारा प्रत्यायन आवष्यक एवं अनिवार्य होगा;

और अब यतः, अखिल भारतीय तकनीकी षिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 की धारा 10 के साथ पठित धारा 23 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए परिषद् तकनीकी षिक्षा संस्थाओं तथा तकनीकी षिक्षा प्रदान करने वाले विष्वविद्यालय विभागों एवं मानित विष्वविद्यालय संस्थाओं में सभी कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों के अनिवार्य प्रत्यायन के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम, प्रयोज्यता एवं प्रारम्भ :

1.1 इन विनियमों को अखिल भारतीय तकनीकी षिक्षा परिषद् (तकनीकी षिक्षा संस्थाओं तथा तकनीकी षिक्षा प्रदान करने वाले विष्वविद्यालय विभागों एवं मानित विष्वविद्यालय संस्थाओं में सभी कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों का अनिवार्य प्रत्यायन) विनियम, 2014 कहा जाएगा।

1.2 ये विनियम निम्नलिखित पर लागू होंगे :

क. स्वायत्त संस्थाओं सहित सभी तकनीकी षिक्षा संस्थाएं ;

ख. तकनीकी षिक्षा में कार्यक्रम/पाठ्यक्रम चलाने वाले सभी विष्वविद्यालय, विष्वविद्यालय विभाग;

ग. तकनीकी षिक्षा में कार्यक्रम/पाठ्यक्रम चलाने वाली विष्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 3 के अधीन सभी मानित विष्वविद्यालय संस्थाएं।

1.3 ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाषन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :

क) *'प्रत्यायन'* विभिन्न व्याकरणिक विभिन्नताओं से युक्त, से अभिप्रेत है, तकनीकी षिक्षा में गुणवत्ता नियंत्रण की प्रक्रिया, जिससे मूल्यांकन या आकलन के परिणामस्वरूप या प्रत्यायन अभिकरण द्वारा अपनाई गई किसी अन्य वैज्ञानिक पद्धति द्वारा किसी संस्था द्वारा संचालित किसी कार्यक्रम/पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड अथवा अभातषिप द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य प्रत्यायन अभिकरण द्वारा अवधारित षैक्षणिक गुणवत्ता मापदण्डों तथा ऐसी शैक्षणिक गुणवत्ता की बेंचमार्किंग का अनुपालन करने के रूप में अभिलक्षित किया गया है।

ख) *'अधिनियम'* से अभिप्रेत है अखिल भारतीय तकनीकी षिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 ।

ग) *'प्रत्यायन बोर्ड'* से अभिप्रेत है, अभातषिप द्वारा सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत स्थापित राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एन.बी.ए.) जैसा एक अभिकरण अथवा परिषद् द्वारा समय–समय पर अनुमोदित कोई अन्य प्रत्यायन अभिकरण, जो अखिल भारतीय तकनीकी षिक्षा परिषद् के स्वायत्त निकाय हैं अथवा ऐसे निकाय जो प्रत्यायन करने के लिए संसद के अधिनियम के द्वारा अथवा अधीन स्थापित किए गए हों।

घ) *'महाविद्यालय'* से अभिप्रेत विष्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12 क(1) (ख) के अंतर्गत परिभाषित महाविद्यालय (कॉलेज) से है।

ड़) *'कार्यक्रम'* से अभिप्रेत है तकनीकी षिक्षा का क्षेत्र अर्थात्–इंजीनियरी प्रौद्योगिकी, एमसीए, वास्तुकला, नगर आयोजना, प्रबंधन–एमबीए, प्रबंधन–पीजीडीएम, भेषजी, होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी, अनुप्रयुक्त कला एवं षिल्प अथवा ऐसे अन्य कार्यक्रम और विषय–क्षेत्र जो परिषद् द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किए जाएं।

च) *'विभाग'* से अभिप्रेत है तकनीकी संस्था का एक एकक/प्रभाग, जो पाठ्यक्रम(मों) के एक समूह में षिक्षा प्रदान करने हेतु सभी प्रकार की अपेक्षित शैक्षणिक अपेक्षाओं की पूर्ति करने हेतु पूर्णरूपेण सुसज्जित हों।

छ) *'पाठ्यक्रम'* से अभिप्रेत है कार्यक्रमों में अधिगम (लर्निंग) की एक षाखा (उदाहरणतः सिविल इंजीनियरी, यांत्रिक इंजीनियरी तथा ऐसी ही अन्य) जिसमें दोहरी डिग्री पाठ्यक्रम तथा एकीकृत पाठ्यक्रम भी शामिल हैं।

ज) *'विष्वविद्यालय विभाग'* से अभिप्रेत विष्वविद्यालय द्वारा स्थापित तथा अनुरक्षित विभाग से है।

झ) *'विष्वविद्यालय'* से अभिप्रेत विष्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के खण्ड 2 की धारा (च) में परिभाषित विष्वविद्यालय से है।

ञ) *'मानित विष्वविद्यालय'* से अभिप्रेत ऐसे संस्थान से है जिसे विष्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के खण्ड 3 के अधीन मानित विष्वविद्यालय घोषित किया गया हो।

ट) *'परिषद्'* से अभिप्रेत खण्ड 3 के अधीन स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी षिक्षा परिषद् से है।

ठ) *'तकनीकी षिक्षा'* से अभिप्रेत इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, वास्तुकला, नगर आयोजना, प्रबंधन, भेषजी और अनुप्रयुक्त कला एवं षिल्प तथा अन्य ऐसे कार्यक्रम अथवा क्षेत्र, जिन्हें केन्द्र सरकार परिषद् के परामर्ष से शासकीय राजपत्र में अधिसूचित करके घोषित करती है, में षिक्षा, अनुसंधान एवं प्रषिक्षण कार्यक्रमों से है।

ड) *'तकनीकी संस्थाओं'* से अभिप्रेत ऐसी संस्थाओं से है, जो विष्वविद्यालय न हों, जिनमें तकनीकी षिक्षा के पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम चलाए जाते हों तथा इसमें ऐसी अन्य संस्थाएं भी शामिल होंगी जो केन्द्र सरकार द्वारा परिषद् के परामर्ष से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा तकनीकी संस्थाएं घोषित की जाएं।

3. प्रत्यायन के उद्देश्य :

प्रत्यायन के उद्देष्य हैं :

क. तकनीकी षिक्षा संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों की 'जांच' (आडिट) का शैक्षणिक प्रणाली

से स्वतंत्र तंत्र ;

ख. शैक्षणिक समुदाय तथा जन सामान्य को यह भरोसा दिला देना कि संस्था द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम/पाठ्यक्रम के उद्देष्य स्पष्टतः परिभाषित हैं तथा वह उनकी पूर्ति कर रही है ;

ग. तकनीकी षिक्षा संस्थाओं को उच्च शैक्षणिक मानकों की बैन्चमार्किंग द्वारा लगातार गुणवत्ता को संवर्द्ध एवं परिपुष्ट करने हेतु सुविधा प्रदान करना ;

घ. यह सुनिष्चित करना कि तकनीकी षिक्षा संस्था द्वारा चलाया जा रहा कार्यक्रम/पाठ्यक्रम उत्तम तकनीकी प्रेक्टिस एवं उत्तम षिक्षा पद्धतियों वाला है ;

ड़. विनियामक प्राधिकरण तथा निधियन (फन्डिंग) अभिकरण (जैसा भी मामला हो) को यदि संस्था पात्र पाई जाए तो उसको प्रदान किए जाने वाले प्रतिस्पर्धी अनुदानों एवं अन्य प्रोत्साहनों को प्राप्त करने हेतु तकनीकी षिक्षा संस्था द्वारा किए जाने वाले सुप्रयासों हेतु सहायता करना तथा उनको सुविधाजन्य बनाना ;

च. राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता, सीमा–पार एवं अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता द्वारा अर्हता की सुवाह्यता को प्रोत्साहित करना एवं सुविधाजन्य बनाना ;

छ. संस्था में सषक्त एवं चुनौतीपूर्ण शैक्षणिक वातावरण निर्मित करने हेतु प्रोत्साहन देना, तथा उच्च गुणवत्ता पूर्ण तकनीकी जनषक्ति तैयार करके देष के सामाजिक–आर्थिक विकास में अपना सहयोग देना।

4. अनिवार्य प्रत्यायन :

4.1 प्रत्येक तकनीकी षिक्षा संस्था तथा तकनीकी षिक्षा प्रदान करने वाले विष्वविद्यालय विभाग एवं मानित विष्वविद्यालय संस्था के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह दो बैच के उत्तीर्ण हो जाने अथवा छः वर्ष पूर्ण होने (जो भी पहले हो) पर अपने सभी कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों को प्रत्यायन अभिकरण से, परिषद् अथवा ऐसे अभिकरण (जैसा भी मामला हो) द्वारा निर्धारित मानदंडों तथा प्रक्रिया के अनुसार प्रत्यायित करवाएं।

4.2 तकनीकी षिक्षा संस्था तथा तकनीकी षिक्षा प्रदान करने वाले विष्वविद्यालय विभाग एवं मानित विष्वविद्यालय संस्था में प्रत्येक कार्यक्रम/पाठ्यक्रम, जिसे अस्तित्व में आए हुए छः वर्ष पूरे हो गए हों अथवा जिसके दो बैच उत्तीर्ण हो चुके हों (जो भी पहले हो) का प्रत्यायन कराने के लिए, प्रत्यायन अभिकरण को इन विनियमों के लागू होने के छः माह के भीतर आवेदन करना होगा।

4.3 तकनीकी षिक्षा संस्था तथा तकनीकी षिक्षा प्रदान करने वाले विष्वविद्यालय विभाग एवं मानित विष्वविद्यालय संस्था में कोई कार्यक्रम/पाठ्यक्रम जिसे अस्तित्व में आए हुए छः वर्ष पूरे न हुए हों अथवा दो बैच उत्तीर्ण न हुए हों, इनके पूर्ण होने की तारीख, (जो भी पहले हो) से छः माह की अवधि के अंदर प्रत्यायन कराने के लिए प्रत्यायन अभिकरण को आवेदन करना होगा।

4.4 तकनीकी षिक्षा संस्था तथा तकनीकी षिक्षा प्रदान करने वाला विष्वविद्यालय विभाग एवं मानित विष्वविद्यालय संस्था जो इन विनियमों के लागू होने के बाद शैक्षणिक गतिविधियां प्रारंभ करने की इच्छुक है, तो उसे प्रत्येक कार्यक्रम/पाठ्यक्रम के प्रत्यायन हेतु उपर्युक्त खण्ड 4.1 के अनुसार प्रत्यायन अभिकरण को आवेदन करना होगा।

5. वैधता की अवधि एवं पुनः प्रत्यायन :

5.1 प्रत्यायन अभिकरण के मानकों के अनुसार समय–समय पर लिए जाने वाले निर्णयानुसार किसी कार्यक्रम/पाठ्यक्रम का प्रत्यायन एक विषिष्ट समयावधि के लिए वैध होगा।

5.2 तकनीकी षिक्षा संस्था तथा तकनीकी षिक्षा प्रदान करने वाले विष्वविद्यालय विभाग एवं मानित विष्वविद्यालय संस्था के लिए यह अनिवार्य होगा कि पहले से प्रत्यायित प्रत्येक कार्यक्रम/पाठ्यक्रम की प्रत्यायन अवधि समाप्त होने से छः माह पहले संबंधित प्रत्यायन अभिकरण द्वारा निर्धारित मानदंडों तथा प्रक्रियाओं के अनुसार पुनः प्रत्यायन के लिए आवेदन करे।

6. प्रत्यायन अभिकरण के कार्य एवं दायित्व :

प्रत्यायन अभिकरण :

6.1 अपनी गतिविधियों में पूर्ण पारदर्षिता सुनिष्चित करेगा तथा आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन करेगा।

6.2 छात्रों, षिक्षकों तथा षिक्षणेतर कर्मचारियों, अभिभावकों, एल्युमनी तथा उद्योग सहित तकनीकी षिक्षा संस्थाओं तथा तकनीकी षिक्षा प्रदान करने वाले विष्वविद्यालय विभागों एवं मानित विष्वविद्यालय संस्थाओं में सभी पणधारियों को शैक्षिक गुणवत्ता के मामलों में अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगा।

6.3 तकनीकी षिक्षा संस्थाओं तथा तकनीकी षिक्षा प्रदान करने वाले विष्वविद्यालय विभागों एवं मानित विष्वविद्यालय संस्थाओं द्वारा प्रत्यायन अभिकरण को प्रस्तुत किए जाने के लिए तैयार की गई स्वः मूल्यांकन रिपोर्ट (एस.ए.आर.) पर छात्रों तथा षिक्षणेतर कर्मचारियों सहित तकनीकी षिक्षा संस्थाओं तथा तकनीकी षिक्षा प्रदान करने वाले विष्वविद्यालय

विभागों एवं मानित विष्वविद्यालय संस्थाओं में सभी पणधारियों को सुझाव अथवा आपत्तियां फाईल करने के अवसर प्रदान करेगा तथा प्रत्यायन को अंतिम रूप देते समय इस पर प्रत्यायन अभिकरण द्वारा ध्यान दिया जाएगा।

6.4 सभी दस्तावेजों, जिनके आधार पर तकनीकी षिक्षा संस्थाओं तथा तकनीकी षिक्षा प्रदान करने वाले विष्वविद्यालय विभागों एवं मानित विष्वविद्यालय संस्थाओं में कार्यक्रम/पाठ्यक्रम को प्रत्यायन दिया गया है, सहित अंतिम प्रत्यायन अपनी वेबसाईट पर प्रकाषित करेगा।

6.5 तकनीकी षिक्षा संस्थाओं तथा तकनीकी षिक्षा प्रदान करने वाले विष्वविद्यालय विभागों एवं मानित विष्वविद्यालय संस्थाओं से आवेदन की प्राप्ति के छः माह के अंदर प्रत्यायन के लिए आवेदन पर प्रत्यायन प्रक्रिया पूरी करेगा/अंतिम निर्णय लेगा।

6.6 दिये गये प्रत्यायन को वापस लेने/संषोधन करने के लिए किसी असंतुष्ट व्यक्ति अथवा निकाय के, प्रत्यायन दिये जाने के 90 दिन के अंदर प्राप्त आवेदन पर प्रत्यायन अभिकरण 90 दिन के अंदर निर्णय लेगा।

7. प्रत्यायन की पूर्वापेक्षाएं :

उपर्युक्त धारा 4.1 में परिभाषित निर्धारित अवधि के अंदर प्रत्यायन करवाये बिना कोई भी तकनीकी षिक्षा संस्था तथा तकनीकी षिक्षा प्रदान करने वाला विष्वविद्यालय विभाग एवं मानित विष्वविद्यालय संस्था परिषद् से इसकी किसी भी योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने अथवा प्राप्त करने का पात्र नहीं होगी।

8. प्रोत्साहन :

अखिल भारतीय तकनीकी षिक्षा परिषद् द्वारा समय–समय पर चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत परिषद् **केवल** ऐसी तकनीकी षिक्षा संस्था तथा तकनीकी षिक्षा प्रदान करने वाले विष्वविद्यालय विभाग एवं मानित विष्वविद्यालय संस्था, जो अभातषिप द्वारा प्रत्यायित एवं अनुमोदित है और जैसा भी वह उपयुक्त समझती है, को निधियों का आबंटन करेगी।

9. दण्ड :

9.1 जब कोई तकनीकी षिक्षा संस्था तथा तकनीकी षिक्षा प्रदान करने वाला विष्वविद्यालय विभाग एवं मानित विष्वविद्यालय संस्था उपरोक्त किसी भी धारा के प्रावधानों का अनुपालन करने में असफल रहती है, तो उपयुक्त प्रत्यायन अभिकरण द्वारा उसपर कोई कार्रवाई करने के बाद भी तकनीकी षिक्षा संस्था तथा तकनीकी षिक्षा प्रदान करने वाले विष्वविद्यालय विभाग एवं मानित विष्वविद्यालय संस्था को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के बाद परिषद् तकनीकी षिक्षा संस्था तथा तकनीकी षिक्षा प्रदान करने वाले विष्वविद्यालय विभाग एवं मानित विष्वविद्यालय संस्था पर निम्नलिखित में से कोई भी दण्ड अथवा समस्त युग्मित दण्डों को आरोपित कर सकती है, नामत :

क) ऐसी तकनीकी षिक्षा संस्था तथा तकनीकी षिक्षा प्रदान करने वाले विष्वविद्यालय विभाग एवं मानित विष्वविद्यालय संस्था को आंबटित सभी अनुदानों पर यथाआवष्यक रोक लगाना ;

ख) ऐसी तकनीकी षिक्षा संस्था तथा तकनीकी षिक्षा प्रदान करने वाले विष्वविद्यालय विभाग एवं मानित विष्वविद्यालय संस्था को परिषद् के सामान्य अथवा विषेष सहायता कार्यक्रमों के अंतर्गत दी जाने वाली किसी सहायता के लिए अपात्र घोषित करना ;

ग) जनता की आम सूचना के उद्देष्य से यह घोषित करके कि तकनीकी षिक्षा संस्था तथा तकनीकी षिक्षा प्रदान करने वाले विष्वविद्यालय विभाग एवं मानित विष्वविद्यालय संस्था द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम/पाठ्यक्रम प्रत्यायित नहीं हैं, और ऐसी तकनीकी षिक्षा संस्था तथा तकनीकी षिक्षा प्रदान करने वाले विष्वविद्यालय विभाग एवं मानित विष्वविद्यालय संस्था में प्रवेष चाहने वाले संभावित छात्रों को परिषद् की वेबसाईट सहित मीडिया के विभिन्न माध्यमों से इसके बारे में सावधान करना।

10. विवाद निराकरण तंत्र :

10.1 इन विनियमों के क्रियान्वयन की स्थिति में यदि कोई विवाद उठता है, तो उस पर परिषद् द्वारा चर्चा एवं समाधान किया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

10.2 परिषद् के पास इन विनियमों को समय–समय पर संषोधित करने का अधिकार सुरक्षित है और यह सभी तकनीकी षिक्षा संस्थाओं तथा तकनीकी षिक्षा प्रदान करने वाले विष्वविद्यालय विभागों एवं मानित विष्वविद्यालय संस्थाओं पर बाध्यकारी होगा।

डॉ० के. पी. आइजैक, सदस्य–सचिव

[विज्ञापन–III/4/असाधारण/142/13]

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th January, 2014

All India Council for Technical Education (Mandatory Accreditation of all programmes / courses in Technical Education Institutions and University Departments & Institutions Deemed to be Universities imparting Technical Education) Regulations, 2014

F. No. 37-3/Legal/AICTE/2014:— Preamble

Whereas, quality assurance in respect of all the programs/courses run by technical education institutions, University Departments and Institutions Deemed to be Universities imparting Technical Education is becoming increasingly significant, in order to make Indian technical education contribute to national growth and development,

And Whereas, accreditation of all programs/courses in Technical Education Institutions, University Departments and Institutions Deemed to be Universities imparting Technical Education, is an important tool to maintain quality of education and research and for effective dissemination among stakeholders of the standards thereof so as to enable them to make informed choices in accessing technical education;

And Further Whereas, the accreditation processes under the All India Council for Technical Education Act, 1987 is being implemented by the National Board of Accreditation set up by AICTE and other agency which may be set up in this regard;

And Whereas, the Council has resolved that the accreditation by Accreditation Agency (National Board of Accreditation or any other agency identified by the Council) be made mandatory and compulsory.

Now therefore, the council in exercise of the powers conferred under sub-Section (1) of Section 23 read with Section 10 of the All India Council for Technical Education Act, 1987, hereby makes the following Regulations for the mandatory accreditation of all programs / courses in Technical Education Institutions, University Departments and Institutions Deemed to be Universities imparting Technical Education, namely :

1. Short Title, Application and Commencement :

1.1 These Regulations shall be called the All India Council for Technical Education (Mandatory Accreditation of all programs / courses in Technical Education Institutions, University Departments and Institutions Deemed to be Universities imparting Technical Education) Regulations, 2014.

1.2 These regulation shall apply to :

a) All the technical education institutions including autonomous institutions;

b) All the Universities, Universities Departments running programs/Courses in Technical Education;

c) All Institutions Deemed to be Universities under Section 3 of UGC Act, running programs /Courses in Technical Education;

1.3 These Regulations shall come into force form the date of notification in the Official Gazette.

2. Definitions :

a) *'Accreditation'*, with its grammatical variations, means the process of quality control in technical education, whereby, as a result of evaluation or assessment or by any other scientific method followed by Accreditation Agency, a program / Course conducted by an institution is recognized as conforming to parameters of academic quality and benchmarking of such academic

quality determined by the National Board of Accreditation or any other accreditation agency recognized by AICTE.

b) *'Act'* means the All India Council for Technical Education Act, 1987.

c) *'Accreditation Board'* means an agency such as National Board of Accreditation (NBA) set up by AICTE, under Society Registration Act 1860 or any other Accreditation agency approved by the Council from time to time, which are autonomous bodies of All India Council for Technical Education, or such bodies as established by or under an Act of Parliament to carry out accreditation.

d) *'College'* means a college as defined under section 12A(1)(b) of the University Grants Commission Act,1956.

e) *'Program'* means the field of Technical Education, i.e. Engineering, Technology, MCA, Architecture, Town Planning, Management-MBA, Management-PGDM, Pharmacy, Hotel Management & Catering Technology, Applied Arts & Crafts and such other programs and areas as notified by the Council from time to time.

f) *'Department'* means a unit/division of a Technical Institute equipped in all respects in dealing with fulfilment of academic requirements of imparting education in a group of course(s)

g) *'Course'* means one of the branches of learning (for example Civil Engineering, Mechanical Engineering and so on) in Program which will include Dual Degree course and Integrated course

h) *'University Department'* means a department established and maintained by the University

i) *'University'* shall means a University defined under clause (f) of Section 2 of the University Grants Commission Act, 1956

j) *'Deemed to be University'* means an Institution declared as deemed to be University under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956

k) *'Council'* means All India Council for Technical Education established under Section 3 of the Act.

l) *'Technical Education'* means programs of education, research and training in engineering, technology, architecture, town planning, management, pharmacy and applied arts and crafts and such other program or areas as the central government may, in consultation with the Council, by notification in the official Gazette, declare;

m) *'Technical institutions'* means an institution not being a University which offers courses or programs of technical education, and shall include such other institutions as the Central Government may, in consultation with the council, by notification in the Official Gazette, declare as technical institution;

3. Objectives of Accreditation:

The objectives of Accreditation are:

a. A mechanism of "Audit " of Programmes/Courses offered by Technical Educational Institutions that is independent of educational system;

b. Assurances to the educational community and the general public, that the programme / course offered by the institution has clearly defined objectives and is meeting the same;

c. Facilitates technical education institutions to continuously uphold and augment the quality, by benchmarking high academic standards;

d. Ensures that a programme/course offered by the technical education Institution reflects good technical practices and education methodologies;

e. Facilitates and supplements the efforts of technical education institution to secure competitive grants and other incentives, if found eligible by the regulatory authority and funding agency as the case may be;

f. Promotes and facilitates portability of qualification through national and international recognition, cross border and trans-national collaboration;

g. Promotes creation of sound and challenging academic environment in the institution, and contributing to the socio-economic development of the country by producing high quality technical manpower.

4. Mandatory Accreditation :

4.1 It shall be mandatory for each technical education institutions, University Departments and Institutions Deemed to be Universities imparting Technical Education to get all its programs / Courses accredited by the Accreditation Agency after passing out of two batches or six years, whichever is earlier, in accordance with the norms and methodology prescribed by such agency or the Council, as the case may be.

4.2 Every program / Course in a technical education institution, University Department and Institution Deemed to be University imparting Technical Education, which has completed six years of existence or two batches having passed out, whichever is earlier, shall apply within six months from the date of coming into force of these regulations, to the Accreditation Agency, for accreditation.

4.3 Any program / Course in a technical education institution, University Department and Institution Deemed to be University imparting Technical Education, which has not completed six years of existence or two batches having passed out, whichever is earlier, shall, within a period of six months from date of such completion, apply to the Accreditation agency for accreditation.

4.4 Every program / Course in a technical education institution, University Department and Institution Deemed to be University imparting Technical Education, intending to commence academic operations after coming into force of these regulations, shall apply for accreditation to the Accreditation Agency, as per Clause 4.1 above.

5. Period of Validity and Reaccreditation :

5.1 The accreditation for a program / Course will be valid for a specific term period decided as per the norms of the Accreditation agency from time to time.

5.2 It shall be mandatory for each accredited program / Course in a technical education institution, University Department and Institution Deemed to be University imparting

Technical Education to apply for Reaccreditation six months before the expiry of the accreditation period in accordance with the norms and procedures prescribed by the Accreditation Agency.

6. Duties and Obligations of Accreditation Agency :

The Accreditation Agency shall:

6.1 Ensure complete transparency in its operations and strictly abide by a code of ethics.

6.2 provide an opportunity to all stakeholders in the technical education institutions, University Departments and Institutions Deemed to be Universities imparting Technical Education including students, teachers and non-teaching employees, Parents, Alumni and Industry to submit their views on matters of academic quality.

6.3 provide an opportunity to all stakeholders in the technical education institutions, University Departments and Institutions Deemed to be Universities imparting Technical Education including students, and non-teaching employees, to file suggestions or objections, if any, on the Self Assessment Report (SAR) prepared by the technical education institutions, University Departments and Institutions Deemed to be Universities imparting Technical Education for submission to the Accreditation Agency, which shall be taken note of by the Accreditation Agency while finalizing the accreditation.

6.4 publish on its website the final accreditation together with all documents based on which such accreditation was given to the program / course in technical education institutions, University Departments and Institutions Deemed to be Universities imparting Technical Education.

6.5 complete the accreditation process / take a final decision on the accreditation application within six months of the receipt of application from the technical education institutions, University Departments and Institutions Deemed to be Universities imparting Technical Education.

6.6 take a decision on application, submitted within 90 days of grant of accreditation, for withdrawal / modification of accreditation, against which any person or body is aggrieved, within 90 days of receiving the application.

7 Accreditation as Pre-requisites :

No technical education institution, University Department and Institution Deemed to be University imparting Technical Education shall be eligible for applying or receiving financial assistance from Council under any of its schemes without having undergone accreditation within stipulated period as defined in Clause 4.1 above.

8. Incentives:

The Council shall allocate any funding under various schemes run by AICTE from time to time, as it may deem fit, to such technical education institution, University Department and Institution Deemed to be University imparting Technical Education **ONLY** as are accredited and approved by AICTE.

9. Penalties:

9.1 Where a technical education institution, University Department and Institution Deemed to be University imparting Technical Education fails to comply with the provisions of any of the preceding clauses, notwithstanding any other action that may be taken against the technical education institution– University Department and Institution Deemed to be University imparting Technical Education by the appropriate Accreditation Agency, the Council may, after providing

reasonable opportunity to such technical education institution and University Department and Institution Deemed to be University imparting Technical Education to be heard, impose any of the following penalties or any combination of such penalties on technical education institution University Department and Institution Deemed to be University imparting Technical Education, namely :

a) Withholding of all grants, where applicable, allocated to such technical education institution , University Department and Institution Deemed to be University imparting Technical Education;

b) Declaring such technical education institutions and University Departments and Institutions Deemed to be Universities imparting Technical Education to be ineligible for consideration for any assistance under any of the general or special assistance programs of the Council;

c) Declaring, for the purpose of general information of the public, that the programs / courses offered by the technical education institution, University Department and Institution Deemed to be University imparting Technical Education are not accredited and cautioning potential candidates seeking admission to such technical education institution, University Department and Institution Deemed to be University imparting Technical Education of the same, through various forms of the media including the website of the Council.

10. Dispute Resolving Mechanism:

10.1 Any dispute arising out of the implementation of these regulations will be discussed and resolved by the Council whose decision shall be final and binding.

10.2 The Council reserves the right to amend these regulations from time to time and same will be binding on all the technical education institutions, –University Departments and Institutions Deemed to be Universities imparting Technical Education.

Dr. K. P. ISAAC, Member-Secy.

[ADVT. III/4/Exty./142/13]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054